



# हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)  
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)



क्रमांक 3962 / सै0

दिनांक 19.05.2023

विषय:—सैकेण्डरी परीक्षा हेतु ऑन-लाईन आवेदन के दौरान बोर्ड कार्यालय में प्राप्त डबल फीस रिफण्ड करने बारे।

सभी स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि यदि सैकेण्डरी परीक्षा वर्ष-सत्र जुलाई 2023 हेतु किसी परीक्षार्थी का ऑन-लाईन आवेदन में तकनीकी कारणों में एक ही परीक्षा हेतु दो बार शुल्क समायाजन हो जाता है, तो ऐसे परीक्षार्थी उक्त परीक्षा हेतु ऑन-लाईन आवेदन की अन्तिम तिथि समाप्त होने के बाद दा महोनों (60 दिन) के समयबद्ध समय तक ही सैकेण्डरी की ई0मेल आई0डी0 [assec@bseh.org.in](mailto:assec@bseh.org.in) पर या दस्ती बोर्ड कार्यालय में डबल फीस (EXCESS FEE) जमा होने के साक्ष्यों ( Beneficiary Name, Account No., IFSC Code, Branch आदि दर्शाते हुए) सहित प्रार्थना-पत्र भेज सकते है। इसके उपरान्त डबल फीस (EXCESS FEE) रिफण्ड करने हेतु दिए गए किसी भी प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

डबल फीस (EXCESS FEE) रिफण्ड हेतु भेजी जाने वाली सूचना का फॉर्मेट निम्न प्रकार से है:-

परीक्षार्थी का नाम ..... पिता का नाम .....

कक्षा .....ई0 मेल आई0डी0 ..... मोबाईल नं0 .....

Beneficiary Name (Name of Account Holder) .....

बैंक खाता संख्या ..... बैंक व शाखा का नाम .....

IFSC CODE ..... REFUNDABLE AMOUNT .....

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उपरोक्त भरे गए विवरण सही है, यदि कोई विवरण गलत होगा तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।

तिथि .....

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर .....

परीक्षार्थी का नाम .....

पता .....



Hansi Road, Bhiwani-127021  
[www.bseh.org.in](http://www.bseh.org.in)



Digital India  
Power To Empower